



# हिन्दुस्तान पेट्रोलियम

# कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार उपक्रम)



## रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल पम्प) के लिये भूमि की आवश्यकता

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश राज्य निम्नलिखित स्थानों पर रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु, सम्पूर्ण एवं एकाधिकार स्वामी अथवा सह-स्वामी अथवा उन पार्टियों जिनके भूमि में हित हों यदि वो इस विज्ञापन के प्रकाशन से पूर्व भूमि के विक्रय हेतु पंजीकृत अनुबन्ध कर चुके हों, से विक्री / पट्टा (न्यूनतम 30 वर्ष के लिए पुनः नवीनीकरण विकल्प के साथ) द्वारा भूमि के प्लॉट के हस्तांतरण हेतु, दो भाग प्रणाली प्रस्ताव (क) तकनीकी प्रस्ताव (ख) वित्तीय प्रस्ताव द्वारा सीलबंद प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

### लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत स्थान

क्रम सं.	स्थान	राजस्व जिला	प्लॉट का न्यूनतम आकार		
			न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	न्यूनतम फ्रन्टिज (मीटर)	न्यूनतम गहराई (मीटर)
1.	ग्राम ओसियाण, राज्य राजमार्ग-38 (बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद रोड) पर	उन्नाव	1600	40	40
2.	वैल पूरबमुक्ति से कौशाम्बी रोड पर	कौशाम्बी	900	30	30
3.	रामनगर चौराहा राष्ट्रीय राजमार्ग-76 पर	इलाहाबाद	1600	40	40
4.	तिरुनिया किमी. स्टोन 5 से 7 के बीच, तिरुनिया-बिलराया रोड पर	लखीमपुर खीरी	900	30	30
5.	लखेचा चौराहा (लखेचा चौराहा के 1 किमी. के अन्दर ) चिनहट-सतरिख रोड पर	बाराबंकी	900	30	30
6.	गरवारा बाजार	प्रतापगढ़	900	30	30
7.	किमी. स्टोन 41-47 के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर	इलाहाबाद	1600	40	40
8.	किमी. स्टोन 70-75 के मध्य राज्य राजमार्ग-46 पर (चौडगरा से घाटमपुर रोड)	फतेहपुर	1600	40	40
9.	राजपुर से शाहजहांपुर के मध्य, रोड पर	कानपुर देहात	900	30	30
10.	लालकुँआ चौराहा से 10-15 किमी. के मध्य लालकुँआ-ऊँचगाँव रोड पर	उन्नाव	900	30	30
11.	गिरवा, नारायनी-बाँदा रोड पर	बाँदा	900	30	30
12.	मल्लावाँ टाउन के 2 किमी. के अन्दर राज्य राजमार्ग- 38 पर उन्नाव की तरफ	हरदोई	900	30	30
13.	राघवपुर चौराहा से मल्लावन 2 किमी. के अन्दर, मल्लावन मेंहेदी घाट रोड पर	हरदोई	900	30	30
14.	डलमऊ	रायबरेली	900	30	30
15.	बण्डा-बिलसण्डा रोड, बण्डा चौराहे से बिलसण्डा रोड किमी. स्टोन 22-25 के मध्य	शाहजहाँपुर	900	30	30
16.	सांडी बिलग्राम रोड पर, सांडी तिराहे के 4 किमी. के अन्दर	हरदोई	900	30	30
17.	जी टी रोड किमी. स्टोन 12-22 के मध्य (राष्ट्रीय राजमार्ग -91)	कानपुर नगर	1600	40	40
18.	सांगीपुर	प्रतापगढ़	900	30	30
19.	द्वारिकागंज	सुल्तानपुर	900	30	30
20.	सईदबाबा, मलिहाबाद-मोहान रोड पर	लखनऊ	900	30	30
21.	सैदुल्लाह नगर, हरौनी-मोहान रोड पर	लखनऊ	900	30	30
22.	पलिया (हरपालपुर की तरफ ग्राम पलिया से 2 किमी. के मध्य)	हरदोई	900	30	30
23.	बिसडाँ, अतर्रा-बबेरु रोड पर	बान्दा	900	30	30
24.	कालुखेड़ा, मोहनलालगंज-मौरावाँ रोड पर	उन्नाव	900	30	30
25.	फतेहपुर और शॉह के मध्य, बाँदा-बहराईच रोड (राज्य राजमार्ग-13) पर	फतेहपुर	1600	40	40
26.	बिलराया-सिंघाई रोड पर 1-3 किमी. के मध्य	लखीमपुरखीरी	900	30	30
27.	जी०टी०रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग-91) चौराहा से 0-10 किमी., बिन्हौर-काकवाँ रोड पर	कानपुर	900	30	30
28.	ग्राम सन्दना के 3 किमी. के अन्दर सिधौली मिश्रिख रोड पर	सीतापुर	900	30	30
29.	बाबागंज से 2 किमी. के अन्दर, बाबागंज-टिकैतगंज रोड पर	बाराबंकी	900	30	30
30.	कटरा-मदनापुर रोड (कटरा के 1 किमी. के अन्दर)	शाहजहाँपुर	900	30	30
31.	लखनऊ, नगर निगम सीमा के अन्तर्गत	लखनऊ	600	30	20
32.	रायबरेली, नगर निगम सीमा के अन्तर्गत	रायबरेली	600	30	20
33.	इलाहाबाद, नगर निगम सीमा के अन्तर्गत	इलाहाबाद	600	30	20
34.	शाहजहाँपुर, (पुवावाँ रोड पर)	शाहजहाँपुर	900	30	30
35.	दरियाबाद के 3 किमी. के अन्दर, दरियाबाद मिटरिया रोड पर	बाराबंकी	900	30	30
36.	मुंशीगंज के 2 किमी. के अन्दर, (रसूलबाद-हसनगंज रोड)	उन्नाव	900	30	30
37.	हरदोई, हरदोई-सीतापुर रोड, रेलवे ओवरब्रिज और बाईपास चौराहे के बीच	हरदोई	900	30	30
38.	चित्रकूट टाउन, राजापुर रोड पर	चित्रकूट	900	30	30
39.	SH-26 पर स्टोन 155-158 के बीच (लखीमपुर-बहराईच रोड पर)	सीतापुर	1600	40	40
40.	लहरपुर-बिसवाँ रोड, एमडीआर-19 पर स्टोन 25-27 किमी. के बीच	सीतापुर	900	30	30
41.	डी.एस.सी.एल. शुगर फैक्ट्री, हरौयावाँ के दोनों तरफ	हरदोई	900	30	30
42.	बावन से 2 किमी. के अन्दर, बावन हरदोई रोड पर	हरदोई	900	30	30
43.	ग्राम कुतुबनगर मिश्रिख-पिसावा रोड पर	सीतापुर	900	30	30
44.	गाँव रूपापुर, रूपापुर-सवायजपुर रोड पर	हरदोई	900	30	30
45.	गोला-लखीमपुर रोड पर (किमी. स्टोन 111-113 के बीच)	लखीमपुर खीरी	900	30	30
46.	पहाड़पुर चौराहे के 1.5 किमी. के अन्दर, बक्शी का तालाब से कुमराहवाँ रोड	लखनऊ	900	30	30
47.	चंदन चौकी, (कोठी तिराहा से गौरीफटा रोड पर 2 किमी. तक)	लखीमपुर खीरी	900	30	30
48.	मिजापुर-फरुखाबाद रोड (किमी. स्टोन नं. 167-169 के बीच)	शाहजहाँपुर	900	30	30
49.	रसूलपुर (मवई से सिल्हौर रोड पर)	बाराबंकी	900	30	30
50.	रामपुर, (शुक्ल बाजार से हैदरगढ़ रोड के बीच)	बाराबंकी	900	30	30
51.	कानपुर-इलाहाबाद रोड (किमी. स्टोन 545-550 एन.एच-2 पर दाईं ओर)	फतेहपुर	1600	40	40
52.	मूसा नगर, (घाटमपुर-मोगनीपुर रोड पर)	कानपुर देहात	1600	40	40
53.	सिधौली-मिश्रिख रोड, एमडी आर-73 किमी. पर किमी. स्टोन 0-3 के मध्य	सीतापुर	900	30	30
54.	वारी, प्रतापपुर हण्डिया रोड पर	इलाहाबाद	900	30	30
55.	पट्टी-चंदा रोड पर, पट्टी के 3 किमी. अन्दर	प्रतापगढ़	900	30	30
56.	अण्डू से 2 किमी. के अन्दर, विलबिला क्रॉसिंग-अमेठी रोड पर	प्रतापगढ़	900	30	30
57.	ओरन-बिसन्दा रोड पर, ओरन शहर के 2 किमी. के अन्दर	बाँदा	900	30	30
58.	करतल एस.एच. 71, किमी. स्टोन नं. 113-116 के बीच	बाँदा	1600	40	40
59.	एस.एच. 101 पर, (निघानन पलिया रोड) किमी. स्टोन नं. 46-49 के बीच	लखीमपुर	1600	40	40
60.	गाँव टकटोली (अकबरपुर-मिट्टी रोड, तहसील, अकबरपुर	कानपुर देहात	900	30	30
61.	गुरिचा चौराहे पर 1 किमी. के अन्दर (महमूदाबाद रेवसा रोड पर)	सीतापुर	900	30	30
62.	बाराबंकी-फैजाबाद रोड एन.एच- 24 पर किमी.स्टोन 30-35 के मध्य	बाराबंकी	1600	40	40
63.	किमी.स्टोन 75-80 के मध्य एस.एच 38 पर	उन्नाव	1600	40	40
64.	बाराबंकी नगर निगम सीमा के अन्तर्गत	बाराबंकी	600	30	20
65.	टेढ़ीपुलिया चौराहा से कपूरथला	लखनऊ	600	30	20

उपरोक्त लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत आने-वाले स्थानों क्रम संख्या 1 से 65 हेतु प्रस्ताव निम्न पते पर भेजे:-

### वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक (रिटेल)

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्लॉट सं.1, नेहरू इन्क्लेव, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उत्तर प्रदेश)

### मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थान

क्रम सं.	स्थान	राजस्व जिला	प्लॉट का न्यूनतम आकार		
			न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	न्यूनतम फ्रन्टिज (मीटर)	न्यूनतम गहराई (मीटर)
66.	सोनौली गोरखपुर रोड किमी. स्टोन 52 से 70 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 29E पर	गोरखपुर	1600	40	40
67.	शक्ति नगर से औड़ी मोड़ 10 किमी. के अन्दर राज्य राजमार्ग 5A पर	सोनमद	900	30	30
68.	राज्य राजमार्ग 98 पर, किमी. स्टोन 0 से 15 के दोनों तरफ कपसेठी से कछवा रोड पर	वाराणसी	900	30	30
69.	सकलडीहा से चंदौली तक राज्य राजमार्ग 69 पर (किमी. स्टोन 2 से 10 के बीच)	चंदौली	900	30	30
70.	देवरिया से कसिया रोड तक राज्य राजमार्ग 79 पर (किमी. स्टोन 13 से 20 के बीच)	देवरिया	900	30	30
71.	सिकरी गंज से गोला बाजार तक राज्य राजमार्ग 72 पर (किमी. स्टोन 90 से 100 के बीच)	गोरखपुर	900	30	30
72.	केराकट से जौनपुर रोड तक राज्य राजमार्ग 36 पर (किमी. स्टोन 282 से 290 के बीच)	जौनपुर	900	30	30
73.	खुटहन से शाहगंज रोड तक राज्य राजमार्ग 7 पर (खुटहन चौराहे से 5 किमी. के बीच)	जौनपुर	900	30	30
74.	मदोही से मिर्जापुर रोड तक राज्य राजमार्ग 5 पर (किमी. स्टोन 301 से 309 के बीच)	मिर्जापुर / सन्त रविदास नगर	900	30	30
75.	रसड़ा राज्य राजमार्ग 34 पर (किमी. स्टोन 352 से 355 के बीच)	बलिया	900	30	30
76.	आजमगढ़ से गाजीपुर रोड राज्य राजमार्ग 67 पर (किमी. स्टोन 41 से 44 के बीच)	मऊ	900	30	30
77.	झांसा चौराहे से राजा तालाब तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रॉसिंग 2 पर	वाराणसी	900	30	30
78.	दिलदार नगर से जमानिया रोड पर (किमी. स्टोन 9 से 11 के बीच)	गाजीपुर	900	30	30

क्रम सं.	स्थान	राजस्व जिला	प्लॉट का न्यूनतम आकार		
			न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	न्यूनतम फ्रन्टिज (मीटर)	न्यूनतम गहराई (मीटर)
79.	बनकटा से बगोघघाट सडक पर, बनकटा सुभाष चौराहे से 3 किमी. के भीतर दोनों तरफ	कुशीनगर	900	30	30
80.	रामकोला से कसिया रोड (किमी. स्टोन 8 से 16 के बीच)	कुशीनगर	900	30	30
81.	रामलछन से रुद्रपुर रोड तक (किमी. स्टोन 53 से 59 के बीच)	देवरिया	900	30	30
82.	सिन्दुरिया, महाराजगंज निचली रोड (5 किमी. से 11 किमी. तक)	महाराजगंज	900	30	30
83.	डी०एम० ज्ञानपुर कार्यालय के 4 किमी. के अन्दर ज्ञानपुर मोड़ रोड पर किसी भी तरफ	सन्तरवि दास नगर	900	30	30
84.	मोड़ से मदोही रोड (किमी. स्टोन 3 से 9 के बीच)	सन्तरवि दास नगर	900	30	30
85.	बरती-कलवारी रोड पर, (कोसेरा बाजार से नगर बाजार तक)	बरती	900	30	30
86.	बलरामपुर-बैठौली बाइपास पर, (बलरामपुर चौराहे से बैथौली क्रॉसिंग तक)	आजमगढ़	900	30	30
87.	सैनापार से लटघाट रोड तक	आजमगढ़	900	30	30
88.	अकबरपुर तिराहा से इल्तेफतगंज रोड (अकबरपुर तिराहा से 5 किमी. के अन्दर)	अम्बेडकरनगर	900	30	30
89.	मोहम्दाबाद(शहीद चौक) चिरैयाकोट मार्ग (मोहम्दाबाद से 10 किमी. के अन्दर)	मऊ	900	30	30
90.	गाजीपुर से कदुआ मोड़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर. (किमी. स्टोन 1 से 15 तक)	गाजीपुर	1600	40	40
91.	वाराणसी मिर्जापुर रोड से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर. (किमी. स्टोन 36 से 48 तक)	मिर्जापुर	1600	40	40
92.	करीमउद्दीनपुर से लडूडीह (किमी. स्टोन 33 से 42 तक)	गाजीपुर	900	30	30
93.	महाराजगंज गोरखपुर रोड राज्य राजमार्ग 81 पर. (किमी. स्टोन 45 से 50 तक)	महाराजगंज	900	30	30
94.	राज्य राजमार्ग 86 पर. (किमी. स्टोन 25 से 30 तक)	महाराजगंज	900	30	30
95.	हरपुर चौराहे से पिपराइच कैम्पिअर गंज रोड के 2 किमी. के अन्दर दोनों तरफ	महाराजगंज	900	30	30
96.	खुज्जी मोड़, राज्य राजमार्ग 73 पर 3 किमी. के अन्दर दोनों तरफ	जौनपुर	900	30	30
97.	रानी बाजार फेजाबाद-रायबरेली रोड, राज्य राजमार्ग 15 पर. (किमी. स्टोन 7 से 14 तक)	फैजाबाद	900	30	30
98.	उतरौला नवाबगंज रोड, राज्य राजमार्ग 9 पर (किमी. स्टोन 18 से 22 तक)	गोण्डा	900	30	30
99.	आजमगढ़ फूलपुर, राज्य राजमार्ग 34 पर. (किमी. स्टोन 247 से 254 तक)	आजमगढ़	900	30	30
100.	गौरी बाजार से रामलछन रोड (किमी. स्टोन 45 से 50 तक)	देवरिया	900	30	30
101.	बिलरियागंज से जौनपुर, (बिलरियागंज चौराहे से 2 किमी. के अन्दर)	आजमगढ़	900	30	30
102.	मिरजाहादीपुर	मऊ	900	30	30
103.	कटका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर	मिर्जापुर	2000	40	50
104.	गोरखपुर महाराजगंज रोड, राज्य राजमार्ग 81 पर	गोरखपुर	900	30	30
105.	बस्ती से हरैया राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर	बस्ती	2000	40	50
106.	मवई चौराहे पर 4 किमी. दोनों तरफ, राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर	फैजाबाद	2000	40	50
107.	गाजीपुर शहर में नगर निगम की सीमाओं के अन्दर	गाजीपुर	650	26	25
108.	घोसी शहर में (राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर शहर सीमाओं में)	मऊ	2000	40	50
109.	बडहलगंज से गोरखपुर तक (राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर किमी. स्टोन 180 से 186 तक)	गोरखपुर	2000	40	50
110.	आशापुर से चौबेपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर दोनों तरफ किमी. स्टोन 8 से 17 तक	वाराणसी	2000	40	50
111.	शाहगंज नगर निगम सीमाओं के अन्दर	जौनपुर	650	26	25
112.	बदलापुर खुटहन रोड, राज्य राजमार्ग 7 पर (किमी. स्टोन 91 से 95 के बीच)	जौनपुर	2000	40	50
113.	रुद्रपुर बरहज रोड (किमी. स्टोन 4 से किमी. स्टोन 8 तक)	देवरिया	900	30	30
114.	ज्ञानपुर से दुर्गागंज रोड तक (किमी. स्टोन 20 से किमी. स्टोन 23 तक)	सन्तरवि दास नगर	900	30	30
115.	लालगंज रोड कलवारी रोड तक (किमी. स्टोन 6 से किमी. स्टोन 10 तक)	मिर्जापुर	900	30	30
116.	मनौरी चौराहे से राज्य राजमार्ग 5 तक राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से राजमार्ग 5 तक	बरती	900	30	30
117.	मदरा चौराहे के दोनों तरफ 3 किमी. के अन्दर फैजलनगर बगोघघाट रोड पर	कुशीनगर	900	30	30
118.	सेवरी पुलिस चौकी के दोनों 2 किमी. के अन्दर	कुशीनगर	900	30	30
119.	बोर व्यास से राजेडिहा रोड, बोर व्यास तिराहे के 1 किमी. के अन्दर	सन्त कबीर नगर	900	30	30
120.	मुसैला से भागलपुर रोड (स्टोन किमी. 6 से 8 तक)	देवरिया	900	30	30
121.	मानीराम से सिकरिया रोड तक (स्टोन किमी. 5 से 8 तक)	गोरखपुर/महाराजगंज	900	30	30
122.	पडरौना देवरिया रोड, कसया राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर 4 किमी. के अन्दर दोनों तरफ	कुशीनगर	900	30	30
123.	सिकरीगंज बेलघाट कुडीबाजार रोड (किमी. स्टोन 8 से 12 के बीच)	गोरखपुर	900	30	30
124.	राष्ट्रीय राजमार्ग 29 विस्तार पर किमी. स्टोन 33 से 43 तक	महाराजगंज	900	30	30
125.	सीतमसराय मडियाहूँ पर जलालपुर मार्ग	जौनपुर	900	30	30

उपरोक्त मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत आने-वाले स्थानों क्रम संख्या 66 से 125 हेतु प्रस्ताव निम्न पते पर भेजे:-

### वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक (रिटेल)

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मुगलसराय रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय

अलीनगर-सकलडीहा रोड ग्राम-सरसेर मुगलसराय, जिला: चंदौली-232 101 (उत्तर प्रदेश)

**कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:**

- प्लॉट का अग्रभाग राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / मुख्य मार्ग से लगा हुआ होना चाहिए।
- उपरोक्तानुसार प्रत्येक स्थान के सामने लिखे हुए प्लॉट साइज की माप उस स्थान पर एनएचएआई/पीडब्ल्यूडी/स्टेट हाईवे विभाग/स्थानीय प्राधिकरणों के मापदंडों के अनुसार लागू आर०ओ०डब्ल्यू को छोड़कर की जायेगी। हालांकि, उपरोक्तानुसार दिये गये प्लॉट साइज के अतिरिक्त, आर०ओ०डब्ल्यू सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को भी लीज/खरीद वाले प्लॉट में शामिल किया जाएगा।
- भूमि के एनएच पर होने की दशा में प्रस्तावक को सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित भूमि एनएचएआई के मानदंडों जैसा कि भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवे मंत्रालय के आदेश संख्या आर डब्ल्यू/एनएच-33023/19/99-डीओ- III दिनांक 25.09.2003, 17.10.2003 तथा इसके पश्चात हुए संशोधन यदि कोई हो को पूरा करती हो। प्रस्तावित भूमि को अन्य वैधानिक निकायों जैसे फोरेस्ट एक्सप्लॉसिव इत्यादि के मानदंडों को भी पूरा करना चाहिए। भूमि को पेट्रोल पम्प व अन्य वाणिज्यिक उपयोग हेतु परिवर्तनीय होना चाहिए। अनुसार का अग्रभाग राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / मुख्य मार्ग से लगा हुआ होना चाहिए।
- प्रस्तावक को स्वयं अपने स्वयं पर समस्त वैधानिक क्लीयरेंस जैसे शहरी भूमि हदबंदी/गैर-कृषि परिवर्तन/आयकर क्लीयरेंस/समी प्रकार से थार मुक्त प्रमाणपत्र इत्यादि तथा सह-स्वामियों, यदि कोई हो से अनापत्ति प्रमाणपत्र की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- भुगतान केवल चेक द्वारा बिक्री प्रपत्र/पट्टा प्रपत्र विधान/पंजीकरण के समय किया जायेगा।
- यदि सम्पूर्ण भूमि प्रस्तावक के स्वामित्व में नहीं है तो उन व्यक्तियों के समूह जिनके प्लॉट एक दूसरे से सटे हुए हों तथा हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हों, उनमें से किसी एक व्यक्ति जिसके पास अन्य समी के लिए पॉवर ऑफ एटोर्नी हो के माध्यम से प्रस्ताव कर सकते हैं।
- वे प्रस्तावकर्ता जो कृषि-भूमि/आवासीय भूमि का प्रस्ताव कर रहे हैं, उन्हें स्वयं के व्यय व लागत पर प्रस्तावित भूमि को गैर-कृषि/गैर आवासीय प्रयोजन में विशेष रूप से पेट्रोल पम्प तथा अन्य सम्बन्धित प्रयोजनों हेतु परिवर्तन कराना होगा। भूमि को पेट्रोल पम्प व अन्य व्यावसायिक प्रयोजनों हेतु उपयोगी होना चाहिए। इन प्रयोजनों हेतु यदि स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग को तत्काल अथवा भविष्य में कोई भी लागू शुल्क देय होगा उसका भुगतान भूस्वामी/प्रस्तावकर्ता द्वारा किया जायेगा तथा इसके किसी भी रूप में एचपीसीएल से वसूल नहीं किया जा सकेगा।
- ब्रोकर/प्रॉपर्टी डीलर आवेदन न करें।
- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुमानित, प्रस्तावित भूमि पर आने वाले निम्नलिखित